राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1521 / SEIAA/2022
Date: 5/9/22

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र)

विषयः **प्रकरण कमांक 8832/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सोनम जायसवाल पत्नी श्री धमेन्द्र जायसवाल, निवासी ग्राम बगवानिया, तहसील धरमपुरी जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 37500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 46/1 पैकी रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम भौडल, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 716 वी बैठक दिनांक 07.04.2022 के उपरांत 744वीं बैठक दिनांक 30.08.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

"......... प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सोनम जायसवाल पत्नी श्री धमेन्द्र जायसवाल, निवासी ग्राम बगवानिया, तहसील धरमपुरी जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 37500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 46/1 पैकी रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम भूडाल, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का आदेश क. 2846 दिनांक 24.09.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.09.2031 तक मान्य रहेगी। "

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फार्म 10 (Corigendum in EC) में आवेदन करते हुये SEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में उत्पादन क्षमता मुरूम 37,500 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता मुरूम 37,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हो गया है।

लेख है कि SEAC के कार्यवाही विवरण में प्रकरण के शीर्षक में खनिज मुरूम के स्थन पर पत्थर तथा अनुशंसा में उत्पादन क्षमता मुरूम 37,000 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर 37,500 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित हो गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन पत्र जारी करने से पूर्व SEAC के कार्यवाही विवरण में खनिज मुरूम के स्थान पर पत्थर तथा अनुशंसा में उत्पादन क्षमता मुरूम 37,000 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर 37,500 टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु प्रकरण SEAC को आवश्यक संशोधन हेतु अग्रेषित किया जायें। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण आवश्यक संशोधन हेतु प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1522 /SEIAA/2022 दिनांक – 5/9/22
प्रतिलिपिः–

श्रीमती सोनम जायसवाल पत्नी श्री धमेन्द्र जायसवाल, निवासी ग्राम बगवानिया, तहसील धरमपुरी जिला धार ।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी